1	धारा 10 की उपधारा (2 क)	पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 10 की	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश
4.	arti 10 4/1 54 arti (2 4/)		में माल और सेवाओं की
		उपधारा (1) या (2) के तहत संयुक्त	कर योग्य आपूर्तियों के
		उधग्रहण के पात्र नहीं हैं, लेकिन	कारोबार का तीन फीसदी
			111/11/2 111 111/11/11
		धारा 10 के उप-धारा (2 ए) के	1"
		तहत कर सदाय का चयन करने के	
		लिए पात्र हैं।	

[फा.सं.-सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किये गए और सा.का.नि. संख्या 394(अ), तारीख 19 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

No. 50/2020 - Central Tax

- **G.S.R. 403(E).**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force with effect from the 01st day of April, 2020.
- 2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 7, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"TABLE

Sl. No.	Section under which composition levy is opted	Category of registered persons	Rate of tax	
(1)	(1A)	(2)	(3)	
1.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	half per cent. of the turnover in the State or Union territory	
2.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	two and a half per cent. of the turnover in the State or Union territory	
3.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Any other supplier eligible for composition levy under subsections (1) and (2) of section 10	half per cent. of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State or Union territory	
4.	Sub-section (2A) of section 10	Registered persons not eligible under the composition levy under sub-sections (1) and (2), but eligible to opt to pay tax under sub-section (2A), of section 10	three per cent. of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State or Union territory.".	

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published vide number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 48/2020 - Central Tax, dated the 19th June, 2020 published vide number G.S.R. 394 (E), dated the 19th June, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सं- 51/2020- केन्द्रीय कर

सा. का.नि. 404(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰13/2017- केन्द्रीय कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अविध की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र॰सं॰	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग	ब्याज की दर	कर अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 24 जून, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य, केरल राज्य, तिमलनाडु राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र,	30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020
	पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है	3 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मार्च, 2020